

आरक्षण प्रक्रिया के लिये समिति गठित करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। श्री योगी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां इन वर्गों को अपना वोट बैंक समझकर उनकी अवहेलना करती रही हैं, जिसके कारण उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से हमेशा वंचित रहना पड़ा।



ग्रेच्युटी विधेयक

केन्द्र सरकार को समय-समय पर ग्रेच्युटी की सीमा निर्धारित करने का अधिकार देने सम्बन्धी ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक संसद में पारित हो गया है। यह ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक दो हजार अट्टारह कल राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पिछले सप्ताह पारित कर चुकी है। भारी शोर-शराबे के बीच राज्यसभा ने इसे बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक में सरकार को समय-समय पर ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा निर्धारित करने के अधिकार का प्रावधान है। विधेयक में मातृत्व अवकाश को नियमित सेवा का हिस्सा समझे जाने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल बताया कि सरकार को यह अधिकार होगा कि वह ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा वर्तमान दस लाख रुपये से बढ़ाकर बीस लाख रुपये कर सकेगी।

(बाइट- रविशंकर प्रसाद)

“सदन में राज्यसभा ने एक बहुत ही ऐतिहासिक बिल पारित किया है पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के सम्बंध में। यह नरेन्द्र मोदी सरकार का जो कमिटमेंट है और वर्क्स को उसका संकेत है। हम सदन के प्रति अनुग्रहीत हैं जो लोकसभा से पारित हो गया था वह आज राज्यसभा से पारित हो गया।”



आयुष्मान भारत

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन आयुष्मान भारत के तहत देश में लगभग चालिस प्रतिशत आबादी को बीमा के दायरे में लाया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत दस करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रति परिवार हर वर्ष पांच लाख रुपये का बीमा लाभ प्राप्त कर सकेगा। इस योजना के लाभार्थी को देश भर में किसी भी सरकार और निर्धारित प्राइवेट अस्पताल से नकदी रहित इलाज की अनुमति होगी।



सैनिक शिक्षा सहायता

केन्द्र सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों और ड्यूटी के दौरान लापता दिव्यांग और शहीद हुये सैनिकों के बच्चों के लिये शिक्षा सहायता से अधिकतम सीमा हटा दी है। वित्त मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि शैक्षिक सहायता जारी रहेगी और इससे सम्बन्धित दस हजार रुपये महीने की अधिकतम सीमा हटा ली गयी है। आदेश में कहा गया है कि यह सहायता केवल सरकार से सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों, सैनिक स्कूलों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य स्कूलों या कॉलेजों और केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के धन से संचालित स्वायत्त संगठनों में पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिये दी जायेगी।



स्मृति ईरानी

केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि कैबिनेट द्वारा मंजूर समेकित रेशम उद्योग विकास योजना का उद्देश्य दो हजार बाईस तक रेशम के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करना है। नई दिल्ली में श्रीमती ईरानी ने कहा कि इक्कीस सौ करोड़ रुपये की यह योजना महिलाओं और कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण में मदद करेगी।

(बाइट-स्मृति ईरानी)

“अगर बेनिफिसरी एस.ई., एस.टी. समुदाय से है तो पैंसट प्रतिशत खर्चा भारत सरकार उठायेगी। अगर बेनिफिसरी नार्थ ईस्ट से है जम्मू कश्मीर से है, हिमाचल प्रदेश से है, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ से है तो भारत सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अस्सी फ्रीसदी खर्च उठायेगी।”



(ब्रेक)

यह समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एनआईसी डॉट आई एन पर लॉगिन कर सकते हैं। आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक, भोजपुरी और हिन्दी समाचारों को पढ़ने और सुनने के लिए हमारे ट्वीटर हैंडल ए आई आर न्यूज गोरखपुर को भी फालो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है।



बस्ती/पुराने नोट

बस्ती में पुराने नोटों को नेपाल भेजने वाले रैकेट के दो सदस्यों को पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है और एक कार से एक करोड़ ग्यारह लाख रुपये की पुराने नोटों की करंसी बरामद की है। बस्ती के पुलिस अधीक्षक दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़े गये लोग इस पैसे को नेपाल भेजने के प्रयास में थे जहां बीस प्रतिशत कमीशन पर इन नोटों को बदले जाने की योजना थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दो व्यक्तियों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है और उनके साथियों की तलाश की जा रही है।



मुकदमा वापस

प्रदेश सरकार ने दो हजार तेरह में मुजफ्फरनगर और शामली जनपदों में हुये दंगों से सम्बन्धित मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन मामलों में तेरह हत्या के और ग्यारह हत्या के प्रयास के मुकदमों शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजीव बालियान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार से मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान फर्जी और गलत तरीके से पंजीकृत किये गये मामलों को वापस लेने का आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बारे में राज्य सरकार को एक पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि लगभग एक सौ उन्चासी मुकदमों के लिये सरकार को पत्र लिखा था। यह सभी मुकदमों आगजनी और तोड़फोड़ से सम्बन्धित है, जिसमें बहुत से लोग फर्जी तरीके से नामजद किय गये थे।

इस बारे में कानून विभाग द्वारा मुजफ्फरनगर और शामली जनपदों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर एक सौ इकतीस मुकदमों के बारे में रिपोर्ट मांगी गयी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन दंगों में कम से कम बासठ लोगों की मौत हो गयी थी और हजारों लोग बेघर हो गये थे। यह दंगे सितम्बर दो हजार तेरह में भड़के थे। दंगों के चलते मुजफ्फरनगर और शामली जनपद में एक हजार चार सौ पचपन लोगों के विरुद्ध पांच सौ तीन मुकदमों पंजीकृत हुये थे।



जर्मन राष्ट्रपति

जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रेंक वाल्टर स्टेनमियर ने कल वाराणसी भ्रमण किया और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जर्मन राष्ट्रपति सबसे पहले सारनाथ स्थित बौद्ध स्थल गये और उन्होंने यहां स्थित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय का भ्रमण किया। श्री स्टेनमियर इसके बाद काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों से मिले और विश्वविद्यालय के सभागार में छात्रों से बातचीत की। देर शाम उनके सम्मान में दशाश्वमेघ घाट पर माँ गंगा की विशेष आरती का आयोजन किया गया। श्री स्टेनमियर गंगा आरती में शामिल होने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी मौजूद रहे। उन्होंने अस्सी घाट पर मौजूद लोगों से भी मुलाकात की। उनके स्वागत में हजारों की भीड़ घाट पर मौजूद रही।

